UPGK010042452026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1752/2026

1. रविशंकर गुप्ता उम्र लगभग 41 वर्ष पुत्र बाबू लाल गुप्ता

2. सरिता देवी उम्र लगभग 38 वर्ष पत्नी रविशंकर गुप्ता

निवासीगण ग्राम– बालापार, थाना–चिलुआताल, जनपद गोरखपुर।

.....**आवेदकगण/अभियुक्तगण**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०–29/2025

अंतर्गत धारा–115(2),352,351(3) बी०एन०एस०

व धारा– 3(2)(va), 3(1)द, ध SC/ST Act

थाना–चिलुआताल, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक–16–06–2026

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण **रविशंकर गुप्ता व सरिता देवी** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र सरिता देवी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

2. अधिनियम की धारा–15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है।

3. सक्षेप में अभियोजन का कथानक इस प्रकार से है कि प्रार्थीनी गीता देवी पत्नी कृष्णा पासवान दिनांक 19.12.2024 समय लगभग 04:25 बजे हमको और हमारे पति कृष्णा पासवान को रविशंकर गुप्ता पुत्र बाबूलाल गुप्ता, पन्ने गुप्ता पुत्र रामजी गुप्ता, आँचल गुप्ता पुत्री पन्ने गुप्ता और सरीता देवी पत्नी रवि शंकर गुप्ता हूँ गाली गुप्ता देते हुए हमारे घर के सामने हमारे पति को मारने पीटने लगे और हमको हमारे हाथ में दाँत से काट भी लिये और हमारे पति एक पैर से विकलांग है और हमारे पति को थायराईड की दवा चलता है जिसमें नींद का दवा चलता और दवा खाकर सोये थे तभी अचानक गाली गुप्ता का सोर सुनकर बीच बचाव के लिये आये तभी सब मारने पीटने लगे और जान मारने की धमकी देते हुये जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके भद्दी भद्दी गाली गुप्ता दे रहे थे।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण पूर्णतः निर्दोष है महज अदावतन हाजा प्रार्थीगण को मुकदमा में गलत तरीके से अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थीगण को महज दौरान व परेशान करने की नियत से फर्जी ढंग से प्रार्थीगण को अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है जिस आधार पर प्रार्थीगण के विरुद्ध कथित आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। प्रार्थीगण का कथित घटना से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण क्षेत्र व जवार के सम्मानित व सम्भ्रान्त परिवार के व्यक्ति है। प्रार्थीगण द्वारा कथित कृत्य किया जाना सोचा भी

नहीं जा सकता है। प्रार्थीगण का पुत्र उम्र लगभग 3 वर्ष व वादी मुकदमा की पुत्री उम्र लगभग 3 वर्ष दिनांक 18.12.2024 को एक साथ खेल रहे थे तथा आपस में झगड़ा कर लिए जिसे लेकर वादी मुकदमा अपने परिवार सहित प्रार्थीगण के घर चढ़ आयी और प्रार्थी सं0–2 को मारी–पीटी थी तथा दिनांक 19.12.2024 को प्रातः 05 बजे वादी मुकदमा के परिवार के लोग एक राय होकर प्रार्थी सं0–2 के साथ अश्लील व्यवहार किये तथा उसका मंगलसूत्र छीन लिये थे जिसके सम्बन्ध में प्रार्थिनी सं0–2 सरिता देवी वादी मुकदमा व उसके परिवार वालों के खिलाफ थाना स्थानीय चिलुआताल में सूचना दी तथा घटना की जाँच कर वादी मुकदमा व उसके परिवार वालों के खिलाफ मु0अ0सं0–953/2024 अन्तर्गत धारा–115(2),352,74,76,351(3),304 बी0एन0एस० दर्ज हुआ जो विवेचना के उपरान्त अब न्यायालय सी0डी0 द्वितीय गोरखपुर में विचाराधीन है। जबसे प्रार्थी सं0–2 द्वारा मुकदमा वादिनी व उसके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया तो रंजीश रखने लगे तथा फर्जी व मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए कथित आरोप लगाये हुए प्रार्थीगण को अभियुक्त बना दिया गया। वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थीगण पर कथित मार–पीट का आरोप लगाया गया है जो कि बिल्कुल निराधार है। प्रार्थीगण ने वादी मुकदमा के लिए कभी–भी जाती सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया और न ही जान से मारने की धमकी ही दिया है। कथित तहरीर में वादी मुकदमा का कहना कि पति–दवा खा कर सोये थे जिसमे नींद की गोली थी और वे बीच बचाव किये इस तरह का कथित कथन की संदेहास्पद है तथा नींद से रहते व विकलांग व्यक्ति द्वारा बीच बचाव किया जाना कहना अपने आप में कथित घटना का प्रथम दृष्टया पूर्णतः फर्जी होना प्रतीत होता है। वादी मुकदमा व उसके परिवार वालों के सोची समझी चाल के अनुसार प्रार्थीगण खिलाफ एफ0आई0आर0 काफी विलंब से दर्ज कराया गया है व रंजिशन प्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से फर्जी ढंग से अभियुक्त बना दिया गया है। कथित घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और न ही किसी ने बीच बचाव किया है इसलिए भी कथित घटना पूर्णतः संदीग्ध व फर्जी प्रतीत होता है।प्रार्थीगण निर्दोष होने के बावजूद भी वादी मुकदमा अभियुक्त बना दिया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है और न ही प्रार्थीगण के खिलाफ कोई भी दरखास्त किसी भी थाना में दिया गया है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदकगण/अभियुक्तगण को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी पक्ष को जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर भद्दी–भद्दी गाली गुप्ता देते हुये मारपीट कर उपहति कारित किये जाने तथा जान से मारने की धमकी देने का अभियोग लगाया गया है। वादिनी को कुल 3 HEALED SCAR चोटे आना बताया गया है तथा आहत कृष्णा पासवान की इंजरी रिपोर्ट में NO MARK OF ANY EXTERNAL INJURY SEEN अंकित है। प्रस्तुत प्रकरण में सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रश्नगत प्रकरण में अंतरिम जमानत पर हैं, जिसका उनके द्वारा दुरूपयोग नहीं किया गया है।

8. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति केन्द्रीय ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773 में दिये गये आधार पर तथा** उपरोक्त तथ्यों एवं

परिस्थितियों के आलोक में गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

9. आवेदकगण/अभियुक्तगण **रविशंकर गुप्ता व सरिता देवी** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **सं0 1752/2026** स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा **मु0–50,000** रूपये का निजी बंधपत्र व समान धनराशि की दो सक्षम प्रतिभूं न्यायालय में दाखिल करने पर न्यायालय की संतुष्टि पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन अंडरटेकिंग देने पर रिहा किया जाये कि–

1- आवेदकगण/अभियुक्तगण, विवेचना/विचारण में सहयोग करेंगे तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

2- आवेदकगण/अभियुक्तगण, वादी मुकदमा पक्ष पर किसी भी प्रकार से कोई दबाव नहीं बनायेंगे और न ही गवाहों को डरायेंगे, धमकायेंगे।

3- आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी भी प्रकार का कोई विवाद भविष्य में कारित नहीं करेंगे।

4- आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी भी विवाद में संलिप्त नहीं होगें यदि आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी विवाद में संलिप्त पाये जाते हैं तो उनकी जमानत निरस्त किये जाने हेतु न्यायालय स्वतंत्र है।

दिनांक 16.06.2026

(प्रतीक्षा नागर)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।
I.D. No.–UP02399

Digitally signed by PRATIKSHA NAGAR
Date: 2026.06.16 16:52:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court